-प्रेस नोट-

दिनांक: 10-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.02.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा एक एनबीडब्लू वारन्टी **अभियुक्त फरमान पुत्र ताहिर नि0 ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित म0अ0सं0 06/2020 वाद संख्या 285/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बिहारीगढ को ग्राम कुरडीखेड़ा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पताः-

फरमान पुत्र ताहिर नि0 ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 745 दीपक मावी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 127 विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:10-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को सट्टे की खाई बाडी करते हुए किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.02.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त सलमान पुत्र सलीम निवासी मौ0 मछियारान थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सट्टे की खाई बाडी करते हुए अन्सारी चौक से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक पर्चा सट्टा, एक बाल पैन व 2140/- रूपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 13 जी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै सट्टे का कारोबार करता हूँ जिससें मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। मैं सट्टे की कमाई वाले पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र सलीम निवासी मौ0 मछियारान थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पर्चा सट्टा
- 01 बाल पैन
- 2140/- रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 25/24 धारा 13 जी एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 628 शैलेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 10.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.02.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **मदन पुत्र राजाराम निवासी मौ0 खेडा कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सख्या 2747/23 धारा—3/8 सीएस एक्ट में मौ0 खेडा कस्बा सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तक नाम व पता:-

मदन पुत्र राजाराम निवासी मौ0 खेडा कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 10-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित **अभियुक्त महताब पुत्र इकराम नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0 148/23 धारा 452/323/504 भादवि अभियोग में उसके घर मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

महताब पुत्र इकराम नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 148/2023 धारा 323, 452, 498-A, 504 भादवि व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना नानौता सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 307/ 323/ 325/ 354/ 498-A/ 504 भादवि व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 थाना गंगोह सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 338/2022 धारा 323, 498-A, 504 भादवि व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण–

1. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा बैटरे चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 इनवर्टर व 03 बैटरे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2024 को वादी श्री अविनाश बत्रा पुत्र अनिल कुमार बत्रा निवासी पंजाबी कालोनी रेलवे रोड थाना देवबंद, सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोरो द्वारा दो बैटरे चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 60/2024 धारा 379 भादवि व दिनांक 20.12.2023 को वादी श्री रजत त्यागी पुत्र अरविन्द त्यागी निवासी मौ0 विवेक विहार कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत मिल्क प्लांट मील फाटक मौहल्ला गंगानगर से 02 बैटरे, 01 इर्न्वटर व अन्य सामान चोरी हो जाने के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 710/2023 धारा 457/380 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, चोरी की घटनाओं पर रोकथाम व चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनो मुकदमो में त्वरित कार्यवाही करते हुए **02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र ऋषिपाल नि0 मौ0 मिश्रा कालोनी कस्बा व थाना देवबंद, सहारनपुर व 2. कृष्णपाल उर्फ मिन्टू पुत्र पूरण सिह नि0 ग्राम बलजीत कालोनी कस्बा व थाना देवबंद सहारनपुर** को चोरी गये माल 01 इनवर्टर व 03 बैटरे सहित ATS सैन्टर के पीछे ITI ग्राऊड से गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बरामद बैटरो व इनवर्टर के बारे में बताया कि एक बैटरा LIVE FAST हमने दिनांक 07.02.2024 को इन्ड्रस्ट्रीयल एरीया में दूध प्लांट के सामने खडी गाडी से चोरी किया था तथा अन्य दो बैटरे व इनवर्टर हम दोनो ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 19.12.2023 की रात्रि में मिल फाटक के पास मिल्क प्लाट से चोरी किये थे जिन्हे आज हम बोरे मे रखकर बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया। अभियुक्तगण से दूसरी बैटरी जो इन्ड्रस्ट्रीयल एरीया से चोरी की थी व दिनांक 19.12.23 को हुई चोरी के शेष सामान जिनमें 01 गैस सिलेण्डर, 01 एलसीडी चार लोहे के गाटर व 01 मोटर के विषय में पूछा तो बताया कि गैस सिलेण्डर हमारे साथी के पास है, शेष सामान लोहे के गाटर, एलसीडी, मोटर हमने तोड फोड कर फेरी करने वाले कबाडी को बेच दिया था, उसका नाम पता हमे मालूम नही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. गौरव पुत्र ऋषिपाल नि0 मौ0 मिश्रा कालोनी कस्बा व थाना देवबंद स0पुर।
2. कृष्णपाल उर्फ मिन्टू पुत्र पूरण सिह नि0 ग्राम बलजीत कालोनी कस्बा व थाना देवबंद स0पुर

अभियुक्त कृष्णपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 710/23 धारा 457/380 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 60/24 धारा 379 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

अभियुक्त गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 57/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 297/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 354/21 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 551/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 670/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 844/16 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 670/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 710/23 धारा 457/380 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 60/24 धारा 379 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

विवरण बरामदगीः–

01 इनवर्टर

03 बैटरे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर चौकी प्रभारी रेलवे रोड थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव त्यागी थाना देवबंद जिल सहारनपुर
3. है0का0 742 विनोद यादव थाना देवबंद जिल सहारनपुर
4. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6. हो0गार्ड 2112 प्रदीप कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 10.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.02.2024 को 01 वांरटी **अभियुक्त सोनू पुत्र किरणपाल निवासी मौ0 नालापटरी किशनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0-1588/23 , मु0अ0सं0 480/05 धारा 25/4 ए एक्ट भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर अभियोग में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र किरणपाल निवासी मौ0 नालापटरी किशनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 जोनसन थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर।
2. कां0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 10.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार एवं अपहर्ता सुकशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग पुत्री को केशव उर्फ निक्की पुत्र कुशल पाल निवासी ग्राम मु0बाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा अपने साथ बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 19/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की तलाश एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी फतेहपुर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया एवं 01 **अभियुक्त केशव उर्फ निक्की पुत्र कुशल पाल निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को छुटमलपुर बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 4(2) पाक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

केशव उर्फ निक्की पुत्र कुशल पाल निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. का0 2327 सतीश कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. म0का0 1072 रेनू रानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः- 10.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा,सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में हत्या के 4 शातिर वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का पाईप, 02 ड्डे व 01 लाठी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2024 को वादी श्री दिपांशु पुत्र नरेश चन्द निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत ओमपाल व अन्य आदि द्वारा वादी के चाचा कर्म सिंह पुत्र सिंगारु नि0 उपरोक्त के साथ साथ गाली गलौच व जान से मारने की नीयत से लाठी ड्डो से मारपीट करने के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 33/2024 धारा147/148/307/323/504 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 09.02.2024 को उक्त घटना में मारपीट से घायल हुए कर्म सिहँ की इलाज के दौरान मृत्यू हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्तगण 1. मोनू कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहरानपुर, 2. चन्द्रपाल पुत्र किशना निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहरानपुर, 3. ओमपाल पुत्र किशना निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 4. जोनी कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा सहारनपुर को** चिलकाना रोड पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का पाईप, 02 ड्डे व 01 लाठी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त चन्द्रपाल ने बताया कि मेरा भतीजा जोनी कुमार गांव में डाक्टरी की दुकान करता है। मैं, मोनू, ओमपाल व जोनी का प्रधानी के चुनाव को लेकर दिपांशु व उसके परिवारजनो के साथ मतभेद चला आ रहा है। जिस पर हमारे मौहल्ले के अमित कुमार, अंकुश,सागर , दीपान्शु ,कल्याण ,व दीक्षित आदि आये दिन शराब पीकर जोनी की दुकान पर आकर गाली गलौच करते थे, जिन्हे जोनी मना करता था। दिनांक 07.02.2024 को भी यह लोग जोनी की दुकान पर शराब पीकर आये तथा गाली गलौच करने लगे तो जोनी ने गाली देने से मना किया तो अमित कुमार, अंकुश, सागर, दीपान्शु, कल्याण व दीक्षित आदि द्वारा जोनी के साथ मारपीट की गयी थी। दिनांक 08.02.2024 को समय 11.00 बजे दीपाशुं और अंकुश अपने खेत से घर आ रहे थे तो रास्ते मे हम लोगो ने इन दोनों को रोककर मारपीट की तो शोर सुनकर दीपांशु के चाचा कर्म सिंह व इनके परिवार के अन्य लोग भी आ गये तथा हमारे साथ भी मारपीट करने लगे तब हम लोगो ने लाठी डंडे से उनके साथ मारपीट कर दी थी जिससे कई लोगो को चोटे आयी थी तथा मोनू ने लोहे के पाईप से दीपांशु के चाचा कर्म सिह के सिर पर वार कर दिया था जिससे उसे गम्भीर चोट आयी थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मोनू कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहरानपुर।
2. चन्द्रपाल पुत्र किशना निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहरानपुर।
3. ओमपाल पुत्र किशना निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
4. जोनी कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मीरपुर सीतापुर थाना सरसावा सहारनपुर।

अभियुक्त चन्द्रपाल का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 33/2024 धारा 147/148/307/323/504 भा0द0वि0
2. मु0अ0स0 402/18 धारा 60/63 आबकारी अधि0 ।
3. मु0अ0स0 18/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0।

बरामदगी-

01 लोहे का पाईप

02 ड़डे

01 लाठी बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री सतेन्द्र कुमार राय, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री नरेश सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री राजीव कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 892 अजय राठी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
6. हे0का0 1050 नितिन, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
7. हे0का0 1006 तरूण कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
8. का0 1259 विनीत कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
9. का0 1996 मोहित कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
10. का0 1967 अनुज कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर, परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व अन्य पुलिस अधिकारीगण की उपस्थिति में थाना सदर बाजार परिसर में स्थित प्रभारी निरीक्षक कार्यालय व थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यकरण व नवनिर्मित आगंतुक शैड के शिलालेख का अनावरण कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया

आज दिनांक 10.02.2024 को मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर, परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर एवं पुलिस अधीक्षक नगर, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एंव अन्य पुलिस अधिकारीगण की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक कार्यालय व थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यकर व नवनिर्मित आगंतुक शैड के शिलालेख का अनावरण व फीता काटकर उदघाटन किया गया। इस अवसर पर थाना सदर बाजार परिसर में गणमान्य/सम्भ्रांत व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक कार्यालय एवं थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण तथा आगंतुक शैड बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, थाना कार्यालय व आगंतुक शैड का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण के कार्य को पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री संतोष कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में निर्माण/जीर्णोद्धार व सौन्दर्यकरण का कार्य सकुशल पूर्ण कराया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांक:10-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को 150 ग्राम चरस सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशा तस्कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.02.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जीशान उर्फ जुम्मन पुत्र फैजान निवासी एकता कालोनी झूले वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नसीर कालोनी खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त जीशान उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 26/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै लकड़ी का काम करता हूँ और मैं नशा करने का आदी हूँ और सस्ते दामों में चरस खरीद कर अपने आस-पास के लोगो को ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। और उस पैसे से मै अपनी नशे की जरूरत को पूरा कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जीशान उर्फ जुम्मन पुत्र फैजान निवासी एकता कालोनी झूले वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

150 ग्राम चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

5. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री ओमकार सिह कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 388 कपिल तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 453 प्रवीन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।